/

308/1

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 2196 /05/76/एक/2015–16 दिनांक : 25 अगस्त 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–शामली।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50084784336	IFSC Code ALLA0211937	393.332

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कांधला	मौ0 रेलमण्डी में भोपाल के मकान से पुलिया तक एवं पुलिया से गेट तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	26.255
2	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कांधला	मौ0 खेल में शमशानघाट से सैनी समाज चिल्ड्रेन हाउस से करमू जुलाहे के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.193
3	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कैराना	मोहल्ला पानीपत बाईपास में भूरा रोड से पानीपत बाईपास तक एवं पानीपत बाईपास से नसीम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	36.300
4	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कैराना	मोहल्ला–बेगमपुरा में असगर तेली के मकान से हसीन के मकान तक, वाल पब्लिक इण्टर कालेज के पीछे से यासीन के मकान तक, वाल पब्लिक इण्टर कालेज के पीछे से राजू के मकान तक, आईस फैक्ट्री वाली गली से रईस के मकान तक एवं तहसील गेट से वाल पब्लिक इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.090
5	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कैराना	मौहल्ला–गुलशन नगर में फैमू के प्लाट से इलामदीन के मकान तक, मुस्तकीम के मकान से मुर्सलीम के मकान तक, लियाकत के मकान से उमरदराज के मकान तक, मस्जिद से इकबाल के मकान तक, मदरसा कार्नर से मिश्री अयूब के मकान तक, जिन्दा के मकान से खलील के मकान तक, इकबाल के मकान से इरफान के मकान तक, वेद के मकान से वकील के मकान तक, हाजी फैमुद्दीन के मकान से गयूर के मकान तक, पानीपत रोड से नूरदीन के मकान तक, मोईना के प्लाट से आसमोहम्मद के मकान तक, अख्तर के मकान से हाजरा के मकान तक, जिन्दा के मकान से शौकीन के मकान तक, असगर के मकान से इकबाल के मकान तक, सूफी महबूब के मकान से नसीम	44.294

308/2

दूरभाष– 2280709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
				के मकान तक, पानीपत रोड से उमरदीन के मकान तक एवं पानीपत रोड से जमशेद खान साहेब के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	
6	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कैराना	मोहल्ला–अलखुर्द में आसिम की दुकान से शमशाद के मकान तक, इरफान के मकान से यामीन के मकान तक, साबिर के मकान से असलम के प्लाट तक, मस्जिद कार्नर से ट्रान्सफार्मर तक एवं यूसुफ के मकान से तेलियान कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.564
7	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कैराना	वार्ड नं0 25 मोहल्ला–दरबार खुर्द में नरसिंह के मकान से अली मोहम्मद के मकान तक, नगर पालिका ट्यूवेल से अली मोहम्मद के मकान तक, हरपाल कश्यप के मकान से भूरा के मकान तक एवं सोमपाल के मकान से जरीफ के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	31.660
8	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 शामली	मोहल्ला–बरखंडी नई बस्ती में सुरेश के प्लाट से पुरानी डिग्री के पीछे दीवार तक, इरशाद के मकान से मक्का मस्जिद तक एवं मयूर के प्लाट से पुरानी डिग्री के पीछे दीवार तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.568
9	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कैराना	मोहल्ला–अलदरगियान वार्ड नं0 01 में मुजफ्फर के मकान से मकिन के मकान तक, नवाब के मकान से मयूर के मकान तक, राशिद चेयरमैन के प्लाट से सूफी के मकान तक, मुस्तकीम के मकान से साजिद के मकान तक एवं बल्ले के मकान से मुजफ्फर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.700
10	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 कांधला	मोहल्ला–शहजादगान में एहसान के मकान से यूनुस के मकान तक, नूर हसन के मकान से सैद के मकान तक, रोहतस के मकान से पोल्ला के मकान तक, अशरफ के मकान से मकसूद के मकान तक, बिहारुद्द अनवर के मकान से रईस के मकान तक एवं इकबाल के मकान से इनाम के प्लाट तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	15.258
11	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 शामली	मोहल्ला–बंजारो वाली मस्जिद में सलीम की दुकान से जीतेन्द्र कोल्ड स्टोर तक, रणधीर सिंह के मकान से रोहित के मकान तक, आशू के मकान से जीतेन्द्र कोल्ड स्टोर तक एवं शरद के मकान से आरा मशीन तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	32.532
12	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 शामली	वार्ड नं0 24 मोहल्ला गुलशन नगर में आस मोहम्मद के मकान से एस0 डी0 मिल्क डेरी तक, डा0 तस्लीम के मकान से दिलशाद के मकान तक, इश्तेखार के मकान से गुलफुकार के मकान तक, नसीम के मकान से आलीशान के मकान तक, फातमा मस्जिद से हाजी सलीम के मकान तक, मास्टर के मकान से मुकेश की दुकान तक, शाबिर के मकान से मेहरबान कुरैशी के मकान तक, मुकीम के मकान से तेहसीन के मकान तक, हाशिम के मकान से जमील के मकान तक, डा0 सैफुल के मकान से शौकीन के मकान तक, डा0 महबूब हास्पिटल से मुमताज के मकान तक एवं डा0 महबूब हास्पिटल से इरशाद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	25.801

308/3

दूरभाष– 2280709
2280710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
13	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 ऊन	मोहल्ला–अन्सारियान में यजपाल के मकान से मोहकाम घेर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.431
14	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 शामली	मोहल्ला–पंसारीयान नई बस्ती वार्ड नं0 02 में बबलू के मकान से इकबाल के मकान तक, यूसुफ के मकान से महबूब के मकान तक, युसुफ के मकान से फेजान के मकान तक, रिजवान के मकान से शहजाद के मकान तक, काला के मकान से नौशाद के मकान तक, अय्यूब के मकान से रिजवान के मकान तक एवं शब्बीर के मकान से शद्दान के मकान तक वार्ड नं0 07 में तस्लीम के मकान से साजिद के मकान तक, यूसुफ के मकान से मोहसिन के मकान तक, नसीम प्रॉपर्टी डीलर से मीना बुटीक पार्लर तक एवं मोहसिन के मकान से इलामचन्द के मकान तक, वार्ड नं0 08 में मोहम्मद उमर के मकान से नजीम के मकान तक एवं वार्ड नं0 24 में ताज एग्रीकल्चर के मकान से खुर्शीद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	35.975
15	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 शामली	मोहल्ला–पंसारीयान नई बस्ती वार्ड नं0 02 में जान मोहम्मद के मकान से मास्टर नत्थु के मकान तक, जान मोहम्मद के मकान से अकबर के मकान तक, मास्टर नत्थु के मकान से इकबाल के मकान तक, हासिम के मकान से गय्यूर के मकान तक, शाहिद (बेकरी वाला) के मकान से नसीम (प्रॉपर्टी डीलर) के मकान तक, हाजी वाजिद के मकान से शाहिद के मकान तक, गोनू के मकान से विनोद पंचाल के मकान तक, सोनिया के मकान से जियालाल के मकान तक, शरीफ के मकान से इकबाल के मकान तक, फैयाज के मकान से इस्लाम धोबी के मकान तक, नूर के मकान से अख्तर के मकान तक, मुस्तकीम के मकान से कब्रिस्तान की दीवार तक, सतीश पंचाल के मकान से राकेश के मकान तक, धरमपाल के मकान से कब्रिस्तान की दीवार तक एवं राजपाल के मकान से कब्रिस्तान की दीवार तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	39.298
16	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 ऊन	मोहल्ला–अन्सारियान में रामफल के मकान से डी0ए0वी0 इण्टर कालेज होते हुये सब पोस्ट ऑफिस तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.993
17	शामली	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 शामली	मोहल्ला–पंसारियान वार्ड नं0 02 में सैदू के मकान से इरफान के मकान तक, यूसुफ की फैक्ट्री से वसीला के मकान तक, हमीद के मकान से मिस्त्री असगर के मकान तक, मिस्त्री असगर के मकान से जुनैद के मकान तक, गय्यूर के मकान से दीन मोहम्मद के मकान तक, जारो के मकान से एहसान के मकान तक, जारो के मकान से नियाज के मकान तक, कयूम के मकान से शौकत के मकान तक एवं जिन्द हसन के मकान से रिजवान के मकान तक वार्ड नं0 08 में शहजाद के मकान से नफीस के मकान तक, तस्कीम के मकान से कलीम के मकान तक, रफी टेलर्स से असलम (गाड़ी वाले) के मकान तक, शराफत के मकान से नईम के मकान तक, नौशाद के मकान से	31.420

308/4

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				खुर्शीद के मकान तक, हाजी शकुरुद्दीन के मकानसे अनीस के मकान तक, शमशाद के मकान से इस्लाम के मकान तक एवं वनस्थली पब्लिक स्कूल से चाँद मस्जिद तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	
	योग				393.332

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

308/5

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक